Sahaja Yoga Central Committee of India

Her Holiness Mataji Shri Nirmala Devi
(Founder of Sahaja Yoga)

सहजयोग सैन्ट्रल कमेटी ऑफ इण्डिया (सी. सी. इण्डिया)

सहजयोग सैन्ट्रल कमेटी ऑफ इण्डिया का गठन

जय श्री माता जी,

कबेला में गुरु पूजा 2008 पूजा प्रवचन तथा प्रवचन पश्चात वहाँ उपस्थित सक्रिय वरिष्ठ योगी/योगिनियों को दिए गए आदेशों के अनुसार सहजयोग प्रचार प्रसार तथा मर्यादित संचालन के परमपावनी माँ के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया। दिल्ली आश्रम में 24 अपैल 2013 को आयोजित की गई पहली गोष्ठी की निरन्तरता को बनाए रखते हुए 19 मई 2013 को देशभर के निष्ठावान, श्रद्धालु एंव पूर्ण समर्पित सक्रिय युवा /वरिष्ठ सहज प्रतिनिधियों की एक अन्य सभा का आयोजन निर्मलधाम में किया गया।

तीन महामन्त्रों तथा श्री गणेश मन्त्र उच्चारण के साथ परमपावनी श्रीमाता जी की उपस्थिति तथा आशिष की याचना करते हुए गोष्ठी का श्रीगणेश हुआ।

सर्व प्रथम श्री देसराज कौन्डल को सर्वसम्मति से इस सभा का सभाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
निम्नलिखित सहजयोगी प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुएः–

1	श्री सुदर्शन शर्मा	–	महाराष्ट्र
2	श्रीमति कल्पना श्रीवास्तव	–	महाराष्ट्र
3	श्री प्रवीन जावल्कर	–	महाराष्ट्र
4	श्री आर. डी. भारद्वाज	–	उ.प्र.
5	श्री के. सी. गुप्ता	–	उ.प्र.

6	डा. श्रीमति दीप्ति सिंह	–	उ.प्र.
7	श्री कपिल कुमार	–	गुजरात
8	श्री वी. के. शर्मा	–	हरियाणा
9	कैप्टन सुमेर सिंह	–	हरियाणा
10	श्री पुरुषोत्तम मित्तल	–	पंजाब
11	श्री पवन प्रभाकर	–	पंजाब
12	कैप्टैन बैनर्जी	–	नोयडा
13	श्री अनिल अरोरा	–	म. प्र.
14	श्री सी. एन. शर्मा	–	बिहार
15	श्री देसराज कौण्डल	–	दिल्ली
16	श्री सुरेश बन्सल	–	दिल्ली
17	श्री ओ.पी. चान्दना	–	दिल्ली
18	श्री एस. सी. निगम	–	दिल्ली
19	श्री ए. के. महाजन	–	दिल्ली
20	श्री एस. सी. राय	–	दिल्ली
21	श्री एन. पी. सिंह	–	दिल्ली
22	श्री विकाश चतुर्वेदी	–	दिल्ली
23	श्रीमति शोभा प्रसाद	–	दिल्ली
24	श्री नरेश सोनी	–	दिल्ली

निम्नलिखित प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से गोष्ठी में उपस्थित नहीं हो पाए, उन्होंने अपने स्थान/नगर से ही इसमें भाग लियाः–

1	डा. राजीव कुमार	–	महाराष्ट्र
2	श्री भगवती सिंह	–	राजस्थान
3	श्री करुण सांघी	–	पश्चिम बंगाल
4	श्री बालाजी अतलूरी	–	आंध्रप्रदेश
5	श्रीमति लक्ष्मी बाजी	–	आंध्रप्रदेश

पहली गोष्ठी में किए गए प्रस्तावों का प्रारूप सभी उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष विचार–विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया। एक–एक करके प्रारूप के हर अनुच्छेद को पढ़ा गया और विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद सम्मिलित प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से सामान्य (General Body) तथा 'सहजयोग सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया' का गठन किया।

भारत के भिन्न राज्यों के निम्न इक्कीस सहज प्रतिनिधियों का 'सामान्य समिति' के सदस्यों के रुप में चयन किया गया :–

1	श्री सुदर्शन शर्मा	–	महाराष्ट्र
2	डा. राजीव कुमार	–	महाराष्ट्र
3	श्री प्रवीन जावल्कर	–	महाराष्ट्र
4	श्री आर. डी. भारद्वाज	–	उ.प्र.
5	डा. श्रीमति दीप्ति सिंह	–	उ.प्र.
6	श्री कपिल कुमार	–	गुजरात
7	श्री वी. के. शर्मा	–	हरियाणा
8	कैप्टन सुमेर सिंह	–	हरियाणा
9	श्री पुरुषोत्तम मित्तल	–	पंजाब
10	कैप्टैन बैनर्जी	–	नोयडा
11	श्री अनिल अरोरा	–	म. प्र.
12	श्री सी. एन. शर्मा	–	बिहार
13	श्री देसराज कौण्डल	–	दिल्ली
14	श्री सुरेश बन्सल	–	दिल्ली
15	श्री ओ.पी. चान्दना	–	दिल्ली
16	डा. एस. सी. निगम	–	दिल्ली
17	श्री ए. के. महाजन	–	दिल्ली
18	श्री करुण सांघी	–	पश्चिम बंगाल
19	श्री बालाजी अतलूरी	–	आंध्रप्रदेश
20	श्रीमति लक्ष्मी बाजी	–	आंध्रप्रदेश
21	श्री भगवती सिंह	–	राजस्थान

'सामान्य समिति' के सदस्यों ने सर्वसम्मति से ग्यारह सदस्यीय 'सहजयोग सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया' का गठन किया। सैन्ट्रल कमेटी के सभी सदस्य सक्रिय, अनुभवी, समर्पित तथा गणमान्य सहजयोगी हैं। उनकी निष्ठा श्रीमाता जी के अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान सैन्ट्रल कमेटी का कार्यकाल तीन (3) वर्ष होगा, उसके बाद परिवर्तन एंव निरन्तरता में आवश्यक सन्तुलन बनाए रखते हुए अगामी समान्य समिति और सैन्ट्रल कमेटी के सदस्यों का चयन किया जाएगा। वर्तमान सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया के सदस्य निम्नलिखित हैं:–

1	श्री सुदर्शन शर्मा	–	महाराष्ट्र
2	डा. राजीव कुमार	–	महाराष्ट्र
3	श्री आर. डी. भारद्वाज	–	उ.प्र.

4	श्री वी. के. शर्मा	–	हरियाणा
5	श्री पुरुषोत्तम मित्तल	–	पंजाब
6	श्री अनिल अरोरा	–	म. प्र.
7	श्री सी. एन. शर्मा	–	बिहार
8	श्री देसराज कौण्डल	–	दिल्ली
9	श्री सुरेश बन्सल	–	दिल्ली
10	डा. एस. सी. निगम	–	दिल्ली
11	श्री भगवती सिंह	–	राजस्थान

'सहजयोग सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया' के कार्य को सचारू रूप से चलाने के लिए सभी सम्मिलित प्रतिनिधियों की सहमति से निर्णय लिया गया किः–

a सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया देश–विदेश के सभी सहजयोग केन्द्रों तथा सहज सामूहिकताओं से सम्पर्क साधकर उन्हें इस संस्था के गठन एंव लक्ष्य की सूचना देगी।

b सैन्ट्रल कमेटी का कार्यालय निर्मलधाम दिल्ली में स्थापित किया जाएगा।

c सैन्ट्रल कमेटी के कुछ सदस्यों को सभी सहज सामूहिकताओं/विशिष्ठ सहजयोगियों को सहजयोग सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया के कार्यो में योगदान करने हेतु निमन्त्रित/प्रेरित करने का कार्य सौंपा जाएगा।

d इन सदस्यों को आवश्यक सहायता उप्लब्ध कराई जाएगी। उप्लब्ध कराई जाने वाली सहायता का निर्णय सैन्ट्रल कमेटी करेगी। मतभेद की स्थिति में (2/3) दो तिहाई मतों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

e सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया के नाम पर किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन–देन, कार्य सम्पादन नहीं किया जाएगा। सामान्य या सैन्ट्रल कमेटी के किसी सदस्य को किसी सहजयोगी/सहजयोग केन्द्र से किसी प्रकार का कोइ चन्दा /दान स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। वित्तीय और सम्पत्ति प्रबन्धन सम्बन्धी विवाद में उलझे बिना सैन्ट्रल कमेटी सहज संस्कृति एंव मर्यादाओं के अनुरूप कार्य करते हुए पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देगी, इसका प्रेरणा स्रोत बनेगी।

f सैन्ट्रल कमेटी के कर्तव्यों को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने के लिए कार्यभारी सदस्य सामान्य समिति के सदस्यों से विस्तार पूर्वक विचार–विर्मश करने के बाद ही अन्तिम निर्णय लेंगे। सभी निर्णय निम्नलिखित पथप्रदर्शक सिद्धांतों के अधार पर लिए जाएंगेः–

i सहजयोग सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया स्वयं को कथनी एंव करनी से आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी के प्रति समर्पित करती है। अपना प्रेम, करुणा एवं आत्मसाक्षात्कार प्रदान करके मानव हित के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सहजयोगियों के लिए उन्होंने सारी मर्यादाओं का स्पष्ट वर्णन किया है। उन्होंने सहजयोग के शत्रुओं के विषय में

भी चेताया है। अतः सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया के सभी नियमाचरण परम पूज्य श्री माता जी की शिक्षाओं पर आधारित होने चाहिएं। सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया परम पूज्य माताजी श्री निर्मलादेवी द्वारा सिखाए तथा अपनाए गए सिद्धांतों की पवित्रता की रक्षा करने के लिए कृतसंकल्प रहेगी।

ii सहजयोगी श्री माताजी के पुजारी हैं। श्रीमाताजी सर्वशक्तिमान हैं, साक्षात् श्री आदिशक्ति हैं। उनका धर्म (मार्ग) प्रेम एवं करुणा का मार्ग है। परमेश्वरी माँ हमारे हृदय तथा आत्मा की सम्राज्ञी हैं। वे सर्वशक्तिसम्पन्न हैं। अतः कोई भी व्यक्ति या संस्था माताजी श्री निर्मला देवी का उत्तराधिकारी होने का न तो दावा करे और न ही उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप मे कार्य करे।

iii सहजयोग के शत्रुओं के विषय में बताते हुए श्री माताजी ने बारम्बार सावधान किया है कि कोई बाहरी व्यक्ति सहजयोग को हानि नहीं पहुँचा सकता। सहजयोगियों की वेषभूषा पहने कपटी स्वार्थी तत्व ही इस दिव्य आन्दोलन को दुर्बल करेंगे। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ सहजयोग की कट्टर शत्रु हैः–

क सत्ता लोलुपता

ख धन एवं सम्पत्ति का लालच

ग सहजयोग का व्यापारीकरण

परमपूज्य श्री माताजी की चेतावनियों के बावजूद भी दुर्भाग्यवश, ये नकारात्मक प्रवृत्तियाँ चुपके से रेंग कर सहजयोग प्रणाली में प्रवेश कर गई हैं। अतः सहजयोग सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया का ये परम कर्तव्य है कि सहजयोगियों, सहज केन्द्रों, सहज सामूहिकताओं एवं विश्व सहज परिवार को उन मधुर एवं आकर्षक प्रलोभनों के प्रति सावधान करे।

iv सत्ता एवं धनलोलुप लोगों को प्रेम पूर्वक समझा बुझा कर श्री माताजी की सहज शिक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। धन एवं सत्ता का अनावश्यक संग्रह तथा किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास इनका केन्द्रीकरण हतोत्साहित किया जाए। स्थानीय सहज न्यास (Trust) और संस्थाएं अपने कार्य एंव सम्पत्ति प्रबन्धन के लिए स्वाधीन (स्वायत्त) होनी चाहिएं। उनके क्षेत्रीय कार्यो में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवांछनीय है।

v पूजाओं, कार्यक्रमों तथा गोष्ठियों पर होने वाला खर्च कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सहजयोगी मिल कर वहन करते हैं। यह स्वर्णिम सहज परम्परा है और इसे चालू रखा जाना चाहिए। परन्तु आम पूजाओं में योगदान को आवश्यक बनाकर कुछ असमर्थ सहजयोगियों को पूजा से वंचित करने का अधिकार किसी भी आयोजक या संस्था को नहीं है। इस तथ्य से सभी को अवगत कराया जाना चाहिए।

vi सहजयोग का किसी प्रकार से व्यापारीकरण नहीं किया जाना चाहिए। परमपूज्य श्री माताजी के प्रवचनों के आडियो, विडिओ, सी.डी. तथा पूर्ण सहजसाहित्य सत्यसाधकों के लिए हैं।

आध्यात्मिक सम्पदा होने के साथ साथ ये सहज–साधना के पथ–प्रदर्शक भी हैं। अतः सहजसाहित्य का प्रबन्धन ऐसे योग्य, पढ़े लिखे तथा विद्वान सहजयोगियों के बोर्ड /संस्था के हाथ में होना चाहिए जो इसके मूल्य को समझते हों तथा इस पावन कार्य को करने के लिए जिनके पास आवश्यक समय भी उपलब्ध हो।

vii सहजसाहित्य बिना किसी लाभ के /या रियायती दामों पर सत्यसाधकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि सभी सहजयोगी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। सहजसाहित्य तथा सहजसंगीत का उपयोग किसी प्रकार लाभार्जन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। श्री माताजी के सभी प्रवचन तथा सहजयोगियों को बताया गया उनका एक एक शब्द सहजयोगियों के हित एवं उनकी उत्क्रान्ति के लिए है। अपने भक्तों की रक्षा और उनके उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई परमेश्वरी माँ की इस आध्यात्मिक सम्पदा के उत्तराधिकारी केवल उनके सत्य–साधक बच्चे ही हैं। सहजसाहित्य किसी की व्यक्तिगत बौद्धिक सम्पदा नहीं हैं। अतः किसी भी व्यक्ति विशेष या संस्था को इसका उत्तराधिकारी होने का दावा करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार के किसी भी प्रयास को सामूहिक रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, चुनौती दी जानी चाहिए तथा विफल किया जाना चाहिए। परमेश्वरी माँ के मुख से निकला हर शब्द आवश्यकतानुसार विश्व की सभी भाषाओं में रूपान्तरित किया जाना चाहिए। सहजयोग सैन्ट्रल कमेटी ऑफ़ इण्डिया तथा 'सै. कमेटी अन्तरराष्ट्रीय' को मिलकर इस दिशा में कार्य करना चाहिए। स. यो. सै. क. इण्डिया को चाहिए कि विश्वसहज परिवार को सूचित रखते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े।

viii भौतिकतावादी द्रष्टिकोण तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण कुछ अत्याधुनिक सहजयोगी सहजयोग को भी उच्च तकनीकी बनाने के कार्य में प्रयासरत हैं। श्री माताजी के शब्दों में 'श्री सदाशिव और आदिशक्ति पुरातन (अनादि–अनन्त) हैं। उन्हें आधुनिक नहीं बनाया जा सकता' अतः सहजयोग को आधुनिक बनाने का प्रयास भी नहीं किया जाना चाहिए। श्री माताजी द्वारा सिखाई गई विधियों से ही आत्मसाक्षात्कार दिया जाना चाहिए। फोटोग्राफ़ के उपयोग में संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे शक्ति प्रवाहित होती है, चैतन्य प्रवाहित होता है। शक्ति को स्वीकार किए बिना प्राप्त किया गया आत्मसाक्षात्कार स्थायी नहीं हो सकता। इन अति–उत्साहित बुद्धिवादियों के कथन /आदेश पर हमें अपना एक नया सहजयोग बनाने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। सै. कमेटी को चाहिए कि सभी को इस तथ्य के प्रति जागरूक करे।

ix सहजयोगियों का एकमात्र कार्य परमपूज्य माताजी श्री निर्मला देवी के प्रेम एवं करुणा के सन्देश को जनजन तक पहुँचाना, पृथ्वी के हर छोर तक सहजयोग का प्रचार प्रसार करना है। श्री माताजी के दिव्य स्वप्न को साकार करने का एकमात्र यही उपाय है। अतः सै. क. इण्डिया का यह परम कर्तव्य है कि इस दिव्य कार्य को करने के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाए और सहज केन्द्रों/सामूहिकताओं को प्रचार प्रसार के लिए हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराये।

x अपनी वार्षिक गोष्ठी में सै. कमेटी पूरे वर्ष में आयोजित की जाने वाली पूजाओं / सेमिनारों/समारोहों के स्थान तथा तिथियाँ निश्चित करे। स्थानीय नगर / राज्य सहजसमन्वयक इन समारोहों का आयोजन करेंगे, उनके प्रतिभारी होंगे और इसकी अर्थव्यवस्था भी उन्हीं का उत्तरदायित्व होगा। कोई बाहरी व्यक्ति /संस्था इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। स्थानीय आयोजकों को यदि सहायता की आवश्यकता हो तो सै. कमेटी उन्हें यथासम्भव सहायता उपलब्ध कराये।

xi परमपावनी माँ को परमचैतन्य रूप (विराट रूप) धारण किए तीन वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है परन्तु (कारण चाहे जो भी रहा हो) विश्व की किसी भी सहजयोग संस्था ने निर्मलधाम में श्री माताजी की महासमाधि पर भव्य भवन निर्माण के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किया है। निर्मलघाम के आसपास की उपलब्ध भूमि का खरीदा जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। गठन के बाद सै. कमेटी विश्व सहज परिवार को इस विषय में जागरूक करे तथा भव्य भवन निर्माण में योगदान के लिए सभी को प्रेरित करे।

xii भारत में आयोजित होने वाली सभी पूजाओं / सेमिनारों/कार्यक्रमों की सूचना सै. कमेटी भेजे।

xiii सै. कमेटी ऑफ़ इण्डिया सहजयोग में कर्मकाण्ड एवं सहजकट्टरवाद को हतोत्साहित करेगी तथा इस विषय में जागरूकता फैलाएगी।

xiv केवल बुलाए जाने पर, स. यो. सै. क. इ. देश विदेश के सहज न्यासों (ट्रस्ट) / संस्थाओं के बीच पनपे मतभेदों / विरोध को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होगी।

xv अपना स्वाधीन अस्तित्व बनाए रखते हुए, सुफल सहयोग की आशापूर्वक स.यो.सै.क.इ. अन्तरराष्ट्रीय सै. क. के साथ कदम से कदम मिला कर कार्य करेगी।

xvi स.यो.सै.क.इ. पारस्परिक परामर्श, घ्यानधारणा, चैतन्यजांच और सर्वसम्मति तक पहुँचने की प्रक्रिया का सम्मान करेगी । पारस्परिक बातचीत/गतिविधियों का एकमात्र मापदण्ड ये होगा कि 'क्या श्री माताजी इससे प्रसन्न होंगी' तथा 'क्या ऐसा करने से हम श्री माताजी के दिव्य स्वप्न को साकार कर पाएगे'।

xvii आत्मसाक्षात्कार के पश्चात 'सामूहिक चेतना' (संवेदनशीलता) प्राप्त करना परमात्मा के साम्राज्य में स्थापन की ओर पहला कदम है। अतः सै.क.इ सामूहिक ध्यानधारणा के कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने को प्रयत्नशील होगी।

xviii व्यक्ति /संस्थागत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए श्री माताजी के प्रवचनों / कथनों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन / सम्पादन / तोड़ मरोड़ का सैं. क. इ. विरोध करेगी और इस सम्बन्ध में सहज परिवार को जागरूक करेगी।

xix सै. क. इ. का मानना है कि सहजघर्म की मर्यादाओं में रहते हुए सभी सहजयोगी उत्क्रान्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए स्वतन्त्र हैं। सहजयोग में आर्थिक योगदान स्वैच्छिक हैं। किसी

भी सहजयोगी या सहजसामूहिकता को किसी भी प्रकार के योगदान के लिए विवश नहीं किया जा सकता। सहज परिवार को इस तथ्य की जानकारी दी जाएगी।

xx सै. क. इ. सभी केन्द्रों को राष्ट्रीय / अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध कराएगी।

xxi सै. क. इ. को सहजधर्म और सहज मर्यादाओं पर पूर्ण निष्ठा है तथा उनकी पावनता एवं शुद्धता का सम्मान और रक्षा करने के लिए यह सदैव तत्पर रहेगी।

xxii किसी भी ऐसे व्यक्ति को सहजयोग सिखाने का अधिकार नहीं है जिसका अपना जीवन सहजधर्म / मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सहजपूर्व जीवन में अपराधी प्रवृत्ति वाले और न्यायालय द्वारा दण्ड्ित (सज़ायाफ्ता) लोगों को पीछे रहकर सहजयोग कार्य करना चाहिए। सहज प्रचार–प्रसार या सहजयोग सिखाने के लिए आगे बढ़ने से पूर्ण हमें स्वयं अपना आकलन करना चाहिए और उचित अन्तर्अवलोकन/ अन्तर्विश्लेषण के बाद ही सहज कार्य सम्भालने के लिए आगे आना चाहिए। हमें चाहिए कि परमेश्वरी प्रेम एवं करुणा से प्रेरित हों और इसी प्रकाश में कार्य करें। किसी भी प्रकार से श्री आदिशक्ति द्वारा सिखाई गई नैतिकता और मर्यादा के स्तर को पतन की ओर न ले जाएं। सै. क. इ. इस विषय में जागरूकता फैलाएगी।

xxiii अनुभव के आधार पर, सामान्य समिति के सदस्यों, राज्य /नगर सहज केन्द्र समन्वयकों, लाइफ इटर्नल ट्रस्टों तथा उपयुक्त समर्पित सहजयोगियों से विचार विमर्श / परामर्श करने के बाद आवश्यकतानुसार किसी भी समय इस घोषणापत्र की समीक्षा की जा सकती है। सै. क. इ. को इसका पूर्ण अधिकार है।

परमेश्वरी माँ को प्रणाम कर उनकी दिव्य सुरक्षा, पथपदर्शन तथा आशिष की याचना करते हुए गोष्ठी की सम्पन्नता की घोषणा की गई।

जय श्री माताजी

देसराज कौण्डल
सभाध्यक्ष